बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन – 812003
ई-मेल - dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक : - ......614... भागलपुर, दिनांक : - 12 /04 / 2023

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा०व०से०"
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षक)
बिहार, पटना |

विषय :- **श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या – 251, प्लॉट संख्या – 372, थाना – सुल्तानगंज में NH-80 (अकबरनगर-सुल्तानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में |**

प्रसंग :- **भवदीय पत्रांक - FC/154/2020-948, दिनांक – 08/11/2022 एवं इस कार्यालय के पत्रांक – 1147 दिनांक – 04/08/2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या – 251, प्लॉट संख्या – 372, थाना – सुल्तानगंज में NH-80 (अकबरनगर-सुल्तानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु पातित किये गए पेड़ों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र द्वारा भवदीय को पूर्व में उपलब्ध करा दी गई है (पत्र की छायाप्रति संलग्न) |

अतः अनुरोध है कि श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा में NH-80 (अकबरनगर-सुल्तानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय |

अनु०: - यथोक्त |

विश्वासभाजन
12/4/23
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

D:\Amar\FcACT\सुमित कुमार.docx

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर

सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन – 812003

ई-मेल - dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक : - 1147 भागलपुर, दिनांक : - 04 / 08 / 2022

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा०व०से०"
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षक)
बिहार, पटना |

विषय :- **श्री सुमित कुमार द्वारा नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में 14 पौधें के पातित करने के जुर्म करने के संबंध में |**

प्रसंग :- **भवदीय पत्रांक - FC/154/2020-562, दिनांक – 24/06/2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि श्री सुमित कुमार को नया रिटेल आउटलेट NH 80 (अकबरनगर-सुल्तानगंज) स्थापित करने में 14 वृक्षों को प्रतिस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया था | सुमित कुमार द्वारा उपरोक्त वृक्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर बिना अनुमति का सभी वृक्षों को पातित कर दिया गया | उक्त आलोक में उनके द्वारा 14 पेड़ों को पातित किये जाने के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण की 03 गुना राशि यानि 75,564/- (पचत्तर हजार पाँच सौ चौसठ) रुपये चालान द्वारा कोषागार में जमा करने हेतु निदेशित किया गया | श्री सुमित कुमार द्वारा 75564/- रुपये का चेक ई कार्यालय में जमा किया गया था जिसे चालान द्वारा कोषागार में शीर्ष 8443 में राशि जमा कर दिया गया है | दूरभाष पर निर्देश के आलोक में श्री सुमित कुमार द्वारा जमा किये गए क्षतिपूरक वनरोपण की राशि 75564/- रुपये को उनके बैंक खाता में वापास करने हेतु विपत्र संख्या 11/2022-23 द्वारा विपत्र तैयार कर कोषागार में पारित करने हेतु भेजा गया है |

वर्तमान में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक – 152 दिनांक – 19/07/2022 से श्री सुमित कुमार के विरुद्ध 14 पेड़ों को पातित किये जाने के संबंध में जुर्म प्रतिवेदन समर्पित किये है | (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित |

अनु०: - यथोक्त |

विश्वासभाजन
4/8/22
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर |

D:\Amar\FcACT\सुमित कुमार.docx

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भागलपुर ।

विषय :- श्री सुमित कुमार द्वारा नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में 14 पौधों के पातित करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,
उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक 18.7.2022, समय 3.30 बजे अपराह्न में मैं अंजनी चौधरी वनपाल भागलपुर तथा वनरक्षक 1. श्री चन्द्रभानु शर्मा पे० कुवणानंद शर्मा सा०- नयागाँव थाना- सुल्तानगंज जिला- भागलपुर 2. श्री देवेन्द्र प्र० सिंह पे०- स्व० भोगेन्द्र प्र० सिंह, सा०- कामराय थाना- असरगंज, जिला- मुंगेर के साथ अपने क्षेत्रभ्रमण कार्य पर थे तभी देखे कि N.H 80 अकबरनगर सुल्तानगंज रोड में नासोपुर मौजा अन्तर्गत सुमित कुमार, पे०- मनोहर पासवान सा०- अकबरनगर, थाना- सुल्तानगंज द्वारा 14 पौधों पातित कर मिट्टी भराई कार्य कर BPCL आउटलेट का निर्माण कार्य किया जा रहा था तभी हम लोगों ने वहाँ जाकर उनसे वन विभाग द्वारा दिये जाने वाला NOC कागजा का मांग किया गया लेकिन वे दिखाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात हमलोगों ने काम को रोकवा दिये। अभियुक्त सुमित कुमार द्वारा धारा 33, 41, 42 एवं 52 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अभियुक्त सुमित कुमार के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये। अंतिम अभियोजन पूर्ण जाँचोपरांत श्रीमान की सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित कर दी जाएगी।

श्रीमान का विश्वासी
अंजनी चौधरी
18/07/2022
वन परिसर पदाधिकारी
भागलपुर

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
1237
25/7/22
भागलपुर वन प्रमण्डल भागलपुर

R/C
[illegible]
18.7.22

कार्यालय - वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर।

ज्ञापांक:- 152 दिनांक:- 19/7/22

सेवा मे, वन प्रमण्डल पदाधिकारी भागलपुर वन प्रमण्डल भागलपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि अभियुक्त पर कड़ी से कड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

Bably
20/7/22

ह०
19/7/22
RO BPP
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
भागलपुर प्रक्षेत्र

अनुसूची 13– फारम सं0 21

वन विभाग, बिहार

भागलपुर वन प्रमण्डल भागलपुर

अपराध रिपोर्ट सं0 84 B.G.P. ता0 22.06.2022

भागलपुर राजस्व केन्द्र।

भागलपुर रेंज।

अपराध का स्वरूप

श्री सुमित कुमार द्वारा नया रिंग आउट लेन स्थापित करने के क्रम में 14 पौधे पातित। ~~करने के मार्ग में कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्य से।~~

पता चलने की तारीख तथा समय 22.06.2022 समय 3.30 बजे अपराह्न

घटना स्थल का नाम अकबरनगर - सुल्तानगंज पथ N.H. 80 नासोपुर

किसने पता लगाया अंजनी चौधरी वनपाल

वन अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की धारा का निर्देश
(यह प्रमण्डल वन कार्यालय द्वारा भरा जायगा)

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 41, 42, 52 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा - 2

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान			
		गाँव	पो0	थाना	जिला
1. सुमित कुमार	मनोहर जालान	अकबरनगर	–	सुल्तानगंज	भागलपुर

साक्षियों के नाम

श्री चन्द्रभानु शर्मा पे० कृष्णानंद शर्मा, सा०-नयागाँव, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर

श्री देवेन्द्र प्र० सिंह पे०- स्व० योगेन्द्र प्र० सिंह, सा० कुमराय, थाना - खड़गपुर, जिला - मुंगेर

To Legal
25/7/22

अनुसूची 18– फारम सं0 21

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट

सेवा में,
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भागलपुर।

विषय :- श्री सुमित कुमार द्वारा नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में 14 पौधों के पातित करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक 26.6.2022 समय 3.30 बजे अपराह्न में मैं अंजनी चौधरी वनपाल भागलपुर तथा वनरक्षक 1. श्री चन्द्रभानु शर्मा पे० कृष्णानन्द शर्मा सा०- नयागाँव थाना- सुल्तानगंज जिला- भागलपुर 2. श्री देवेन्द्र प्र० सिंह पे०- स्व० योगेन्द्र प्र० सिंह, सा०- कामराय थाना- असरगंज जिला- मुंगेर के साथ अपने क्षेत्र भ्रमण कार्य पर थे। तभी देखे कि N.H.80 अकबरनगर- सुल्तानगंज रोड में नासोपुर मौजा अन्तर्गत सुमित कुमार पे०- मनोहर पासवान, सा० अकबरनगर, थाना- सुल्तानगंज द्वारा 14 पौधों पातित कर मिट्टी भराई कार्य कर BPCL आउटलेट का निर्माण कार्य किया जा रहा था तभी हमलोग वहाँ जाकर उनसे वन विभाग द्वारा दिये जाने वाला NOC कागज का माँग किया गया लेकिन वे दिखाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात हमलोग काम को रोकवा दिये। अभियुक्त सुमित कुमार द्वारा धारा 33, 41, 42 एवं 52 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्त सुमित कुमार के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये। अंतिम अभियोजन पत्र पूर्ण जाँचोपरांत श्रीमान की सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित कर दी जायगी।

श्रीमान् का विश्वासी
अंजनी चौधरी
23.06.2022
वन परिसर पदाधिकारी
भागलपुर

अनुसूची 18- फारम सं0 21

अभियुक्त का वयान

वन विभाग, बिहार

....प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं0...ता0..................

....राजस्व केन्द्र रेंज

ज्ञाप सं0 –

ता0 –

...............................उप वन संरक्षक, ...प्रमण्डल

को जब्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के

लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

....प्रभारी पदाधिकारी

....राजस्व केन्द्र रेंज

ज्ञाप सं0 –

ता0 –

....मजिस्ट्रेट ....को

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और निम्नलिखित

दस्तावेज भेजी है।

....प्रभारी वन–संरक्षक

....प्रमण्डल।

Forest Department, Bihar
जंगल विभाग, बिहार

No. - 409 २।

डिविजन
Division भागलपुर

(Note - This Report is to submitted with in 24 hours in the detection)
(नोट - यह रिपोर्ट पकड़े जाने के २४ घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए)

Office Report No.
जुर्म नम्बर

Date
दिनांक 22.06.2022

1. Place of occurence
घटना स्थल अकबरनगर - सुल्तानगंज पथ, NH-80 नाथीपुर

2. Date and hour of detection
पकड़े जाने के समय और तारीख समय - 3:30 PM दिनांक - 22.06.2022

3. Name's Parentege and residence offenders
नाम अपराधी और उनके पिता का नाम सुमित कुमार पिता - मनोहर पासवान

4. Property Scized of any
जब्ती माल और कोई सा० - अकबरनगर थाना - सुल्तानगंज जिला - भागलपुर

5. Custody of Scized property
जब्ती माल का जिम्मेवार

6. Name (s) Parentege and residence of witnesses of any.
नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता (1) चन्द्रभानु शर्मा पिता - कृष्णानंद शर्मा

7. Nature of Offence and facts
तफसील और व्यान जुर्म (2) देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता - स्व. भोगेन्द्र प्रसाद सिंह

सैया श्री

वन परिसर पदाधिकारी भागलपुर

PTO

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित करते हुए सूचित करना है कि NH-80 सुल्तानगंज भागलपुर रोड के किनारे ग्राम - नाशीपुर थाना - सुल्तानगंज में सुमित कुमार पे० - मनोहर पासवान सा० अकबरनगर थाना - सुल्तानगंज के द्वारा BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में वन विभाग द्वारा रोपित कुल 14 पौधों को पातित कर मिट्टी भराई करके निर्माण कार्य किया जा रहा था। मेरे द्वारा वन विभाग का NOC का माँग किया गया लेकिन वो दिखाने में असमर्थ रहा। ततपश्चात वन विभाग द्वारा कार्य को रोक दिया गया।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि सुमित कुमार के विरुद्ध, कड़ी से कड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

श्रीमान का विश्वासी
अनुराधा सिन्हा वनरक्षी
दिनांक - 22.06.2022

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।

जप्ती सूची

1. घटना – अवैध रूप से चौदह (14) पौधों का पातित करना।

2. घटना स्थल – अकबरनगर- सुल्तानगंज पथ- NH-80 नाथीपुर

3. तिथि एवं समय – दिनांक- 22/06/2022, समय- 3:30 PM

4. किस धारा के अन्तर्गत जप्त किया गया –

5. जप्त सामग्री का विवरण –

6. अपराधी का नाम | पता | हस्ताक्षर

(i)
(ii) सुमित कुमार, पे०- मनोहर पासवान, ग्रा०- अकबरनगर थाना - सुल्तानगंज, जिला- भागलपुर
(iii)
(iv)

7. जप्त सामग्री के जिम्मेवार व्यक्ति का नाम पता एवं हस्ताक्षर –

8. गवाहों के नाम | पता | हस्ताक्षर

(i)
(ii) चन्द्र भानु शर्मा, पे०- कृष्णानंद शर्मा, ग्रा०- नाथनगर थाना- सुल्तानगंज, जिला- भागलपुर — चन्द्र भानु शर्मा
(iii) देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पे०- स्व. भोगेन्द्र प्र० सिंह
(iv) ग्रा०- कुमरांई, थाना - असरगंज, जिला- मुंगेर — देवेन्द्र प्र० सिंह

9. जप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम, पता एवं हस्ताक्षर – अंजनी चौधरी, वनपाल
अंजनी चौधरी

वन क्षेत्र पदाधिकारी
भागलपुर

अनुसूची 18 फारस सं-24

संख्या- 8 A BGP

सेवामें

.... मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर ....

महाशय,

निवेदन है कि ता:...... 22.06.22. ......(घटना की तारीख) को

मैं..

रेंजर..(रेंजर का नाम)

वनपाल...... अंजनी चौधरी ....(वनपाल का नाम)

वनरक्षक...(वनरक्षक का नाम)

ने अरक्षित ,वन (या रक्षित वन) में किये गये अपराध के लिए , जो भारतीय वनअधिनियम16 1927 कि 33 41 42, 52 एवं भारतीय वन संरक्षण अधि0 1980 की धारा - 2

धारा.......................................के अधीन दंडनीय है ! श्री...... सुमित कुमार ......

....का निम्नलिखीत संपत्ति जब्त कर ली है !

1.

2.

3.

मै इस बात से रिपोट प्रमंडल पदाधिकारी को भी कर दी है !

2. अपराधी इस अपराध के लिए प्रशसन (सुलह) करने को राजी है और मै प्रमंडल वन पदाधिकारी के इस आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हु कि कितनी रुपया प्रशासन किया जाए !

विश्वासभाजन
अंजनी चौधरी
रेंजर या वनपाल केन्द्र या रेंज

प्रतिलिपि कि रिपोर्ट कि संख्या .... ता0..............................

..............प्रमंडल पदाधिकारी ....त्र..............................

रेंजर या वनपाल

प्रमंडल को उपस्थापित कि जाती है !

ता0